बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः— 2/अ0प्र0—137/2016 261 /पटना, दिनांक :— 2-2-21

श्री पुनेश्वर रजक, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, बांका—1/2 के पदस्थापन काल में अलग—अलग चार निम्न मामलों में आरोप पत्र गठित किये गयेः—

(i) ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के अन्तर्गत लंबित अतिरिक्त बसावटों का सर्वेक्षण दिनांक 09.07.2016 तक सम्पन्न किये जाने का निदेश दिया गया था, परन्तु उक्त तिथि लंबित अतिरिक्त बसावटों का सर्वेक्षण सम्पन्न नहीं किया गया।

(ii) वित्तीय वर्ष 2015—16 से 2018—19 के बीच संवेदक द्वारा जमा किये गये बैंक गांरटी की जॉच के क्रम में जॉच समिति को प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा BG Register उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण Bid security के रुप में युको बैंक के जाली BG का उपयोग किये जाने की जाँच एवं BG Register संधारित नहीं किया जा सका।

(iii) बाँका जिलान्तर्गत प्रखंड चान्दन के पंचायत बिरनियाँ में कदरसा बिरनियाँ पथ से झीगांझाल होते हुए झारखंड सीमा तक ग्राम संपर्क सड़क निर्माण से संबंधित निविदा के सफल निविदाकार मेसर्स सुबोध कुमार सिंह के पास SBD कंडिका 4.5 B(a) के अनुसार Plant and Equipment Owned/leased व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद निविदा स्वीकृत कर कार्य आवंटन किया गया।

(iv) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कार्यान्वित गौरा से पैर पथ के GSB Grading-ii में stone aggregates के साथ गेरूआ नदी से coarse sand ढुलाई कर प्रयोग में लाने के प्रावधान के विरूद्ध निम्न दर के स्थानीय बालू का प्रयोग किया गया पाया गया। उक्त पथ में इनके कार्यकाल में 177.35 मीटर जी0एस0बी0 का कार्य कराया गया है, जिसके कारण 36,089/— रूपया का अधिक भुगतान का मामला पाया गया।

2. उक्त चार मामलों में श्री रजक को प्रथम द्रष्टव्य दोषी पाते हुए विभागीय पत्रांक 2947 दिनांक 28.09.2016, विभागीय पत्रांक 586 अनु0 दिनांक 24.02.2020, विभागीय पत्रांक 729 अनु0 दिनांक 06.03.2020 एव विभागीय पत्रांक 602 अनु0 दिनांक 28.03.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, जिसमें से सिर्फ एक मामले में श्री रजक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है तथा शेष तीन मामलों के संबंध में श्री रजक द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

3. सभी मामले की समेकित समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। श्री रजक दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत हो चुके है। अतएव समीक्षोपरान्त श्री रजक की सेवा संतोषप्रद नहीं मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत श्री रजक से उक्त सभी आरोपों पर विभागीय पत्रांक 1419 अनु0 दिनांक 26.08.2020 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

4. इस प्रसंग में श्री रजक के पत्रांक शून्य दिनांक 09.09.2020 द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में आरोप सं0–1 के संबंध में कहा गया है कि वसावटों का सर्वेक्षण कार्य दिनांक–11.07.2016 को अंतिम रूप से संपन्न कराया गया था, जिसे भेजा जा चुका है। साथ हीं प्रत्येक दिन का सर्वेक्षण कार्य रिपोर्ट दिनांकवार अद्यतन भेजा गया है। आलोच्य माह जुलाई में वर्षा अत्यधिक होने तथा इंटरनेट लिंक फेल रहने के कारण निर्धारित तिथि 09.07.2016 तक सर्वेक्षण कार्य संपन्न नहीं कराया जा सका है।

श्री रजक द्वारा आरोप सं0–2 के संबंध में कहा गया कि जॉच समिति के पूर्व ही उनका स्थानान्तरण ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला छपरा किया गया था तथा दिनांक 18.08.2016 को ही अपना सम्पूर्ण प्रभार कार्यपालक अभियंता श्री प्रमोद कुमार सिंह, कार्य प्रमंडल बांका–2 को सौंप दिया था तथा स्थानंतरण स्थल छपरा में योगदान कर कार्यरत था, साथ ही दिनांक 31.01. 2017 को सेवानिवृत हो गया। जॉच समिति के समक्ष कार्यरत कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी/लेखा लिपिक को B.G. Register उपस्थापित करने की जिम्मेवारी थी जिसे उनलोगों ने नहीं किया।

श्री रजक द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में आरोप सं0–3 के संबंध में कहा गया है कि कदरसा विरनियां पथ से झारखंड सीमा तक ग्राम संपर्क सड़क निर्माण कार्य का निविदा प्रकाशित किया गया एवं इस निविदा के विरूद्ध भाग लिये निविदाताओं का तुलनात्मक विवरणी समेकित कर मुख्यालय को भेजा गया था। निविदा कमिटी द्वारा सुबोध कुमार सिंह का चयन किया गया। और इसी निविदादाता के द्वारा कार्य संपन्न कराया गया। श्री रजक द्वारा समर्पित बचाव बयान में आरोप सं0–4 के संबंध में कुछ नहीं कहा गया।

5. श्री रजक की बचाव बयान की समीक्षा की गयी और पाया गया कि श्री रजक द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि लंबित अतिरिक्त बसावटों का सर्वेक्षण कार्य निर्धारित तिथि–09. 07.2016 तक संपन्न नहीं कराया गया। इसके लिए उन्होनें अत्यधिक वर्षा होने तथा इंटरनेट लिंक फेल रहने का कारण बताया गया है, जो स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

श्री रजक के विरूद्ध मुख्य आरोप आरोप वर्ष में BG Register संधारित नहीं करने का है। इनके कार्यकाल में BG Register नहीं संधारित किया गया था। यदि इनके द्वारा अपने पदस्थापन काल में बीजी रजिस्टर संधारित किया जाता तो अवश्य रहता, जिसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

श्री रजक द्वारा प्रमंडल स्तर पर तुलनात्मक विवरणी तैयार करते समय निविदाकार से एकरारनामा के पूर्व Plant and Equipment Owned/leased व्यवस्था के संबंध में संपुष्ट होने के उपरांत हीं कार्य आवंटन करना चाहिए था, किन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार श्री रजक द्वारा एन0आई0टी0 के प्रावधान के प्रतिकूल जाकर यह कार्य किया गया है।

श्री रजक द्वारा आरोप संख्या–4 के बचाव में कुछ नहीं कहना इस आरोप की स्वीकारोक्ति है।

6. श्री पुनेश्वर रजक तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, बांका सम्प्रति सेवानिवृत को अधिसूचना सं0–1540–सह–पठित ज्ञापांक–1541 दिनांक–22.09.2020 एवं अधिसूचना सं0–1685–सह–पठित ज्ञापांक–1686 दिनांक–02.11.2020 द्वारा दो अन्य मामलों में 10 प्रतिशत की राशि की मासिक कटौती अलगे पॉच वर्षो तक करने का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जा चूका है।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य मे श्री पुनेश्वर रजक, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, बांका सम्प्रति सेवानिवृत के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुये इनके विरूद्व उक्त कंडिका–6 में अधिरोपित दंड के अतिरिक्त प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

(i) 36089/– रूपये की वसूली।

(ii) पेंशन से अगले पॉच वर्षो तक 10(दस) प्रतिशत की मासिक कटौती।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

01.02.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.i

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–137/2016 262 /पटना, दिनांक :– 2-2-21

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–137/2016 262 /पटना, दिनांक :– 2-2-21

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/जिला कोषागार पदाधिकारी, देवघर (झारखंड)/जिला कोषागार बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–137/2016 262 /पटना, दिनांक :– 2-2-21

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/विशेष सचिव,(स्थापना), ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, बांका/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव /सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका–1 एवं 2/प्रशाखा पदाधिकारी–6 /लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री पुनेश्वर रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका–2, सम्प्रति सेवानिवृत। पत्राचार का स्थायी पता–ग्राम–श्रीकांत मार्ग, बेला बगान, पो0–डाबर ग्राम, थाना–देवघर, जिला–देवघर, झारखंड, पिनकोड–814112 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.02.21

उप सचिव

') Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in